



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

2026:RJ-JD:20395

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4198/2026

Abhishekh S/o Maheshchandra, Aged About 29 Years, Mirja
Bavdi Road, Shastri Nagar, Kishangarh, P.s. Madanganj, District
Ajmer Raj.
(At Present Lodged Central Jail Udaipur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. KP Raj Deora
For Respondent(s)	:	Mr. Narendra Gehlot, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

29/04/2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना साईबर, जिला उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 02/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 308(2), 318(4), 319(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व 66(डी) आई.टी. एक्ट के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
2. मैंने बहस जमानत आवेदन पत्र पर सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस मामले में अन्य सह-अभियुक्तगण गोविंद उर्फ गोमा उर्फ राजु व रितिक की जमानत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.03.2026 के द्वारा ली जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला अन्य सह-अभियुक्तगण के समान होना बताते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक शर्मा इस मामले में मुख्य अभियुक्त है, जो पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में भी अंकित किया गया है। अतः इस आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।



5. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में पूर्व में जो सह-अभियुक्तगण गोविंद उर्फ गोमा उर्फ राजु व रितिक की जमानत इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.03.2026 के द्वारा स्वीकार की गई थी, उसके पैरा संख्या 3.1 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि अभिषेक शर्मा साईबर ठगी का मुख्य रूप से आरोपी है और अभिषेक शर्मा द्वारा फर्जी बैंक खातों से राशि प्राप्त कर एटीएम व क्रेडिट कार्ड से विद्झों कर सह-अभियुक्तगण से यू.एस.टी.डी. डॉलर खरीद करने का आरोप है। सह-अभियुक्तगण पर ठगी का आरोप नहीं पाया गया, इस आधार पर सह-अभियुक्तगण की जमानत इस न्यायालय द्वारा ली गई थी। इस मामले में तफ्तीश पूर्ण होकर चालान पेश नहीं हुआ है।
6. अतः चालान पेश हो जाने से पूर्व प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
7. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त अभिषेक पुत्र महेशचन्द्र की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया जाता है और प्रार्थी/अभियुक्त को चालान पेश हो जाने पर पुनः जमानत प्रार्थना पत्र पेश करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J